<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082023-248297 CG-DL-E-24082023-248297

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596] No. 596] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 2023/भाद्र 2, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2023/BHADRA 2, 1945

# राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

(नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

सं. R-12013/01/2022/Ethics.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 27(1)(ख) के साथ पठित धारा 10(1)(ख) और (च), 16(2), 57(2) (यघ), (यठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग "राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एतद द्वारा पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशेवर आचरण) विनियम, 2023" को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है: -

- 1. इन विनियमों को "राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशेवर आचरण) (संशोधन) विनियम, 2023" कहा जाएगा।
- 2. ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशेवर आचरण) विनियम, 2023 को तत्काल प्रभाव से स्थिगित रखा जाता है।

5451 GI/2023 (1)

- 4. शंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशेवर आचरण) विनियम, 2023, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा इस विषय पर अगली राजपत्र अधिसूचना जारी होने तक प्रचालनात्मक और प्रभावी नहीं होगा।
- 5. कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग इसके द्वारा "भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002" को तत्काल प्रभाव से अंगीकर करता है और प्रभावी बनाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम,2019 (2019 का अधिनियम संख्या 30) के अधीन निहित शक्तियों के अनुरूप इसे बनाया गया हो।
- 6. कि शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम,2002 तत्काल प्रभाव से प्रवृत होंगे।

डॉ. विपुल अग्रवाल, सचिव [विज्ञापन III/4/असा./378/2023-24]

टिप्पणी : ये विनियम अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित किये जा रहे हैं, इन विनियम की व्याख्या के मामले में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रेजी संकरण मान्य होगा।

### NATIONAL MEDICAL COMMISSION (Ethics and Medical Registration Board) NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2023

**No. R-12013/01/2022/Ethics.**— In exercise of the powers conferred by Section 27(1)(b), read with Sections 10(1)(b) & (f), 16(2), 57(2) (zd), (zh), (zi) and (zl), of the National Medical Commission Act, 2019, (Act No. 30 of 2019), the National Medical Commission hereby makes the following Regulations to further amend the "National Medical Commission Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2023" namely:

- 1. These Regulations may be called the "National Medical Commission Registered Medical Practitioners (Professional Conduct) (Amendment) Regulations, 2023".
- 2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. That National Medical Commission Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2023, are hereby held in abeyance with immediate effect.
- 4. That for removal of doubts, it is clarified that the National Medical Commission Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2023, shall not be operative and effective till further Gazette Notification on the subject by the National Medical Commission.
- 5. That the National Medical Commission hereby adopts and makes effective with immediate effect the "Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002", as if the same have been made by the Commission by virtue of the powers vested under the National Medical Commission Act, 2019 (Act No. 30 of 2019).
- 6. That for removal of doubts, it is clarified that Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002, shall come into force with immediate effect.

Dr. VIPUL AGGARWAL, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./378/2023-24]

**Note:** These Regulations are being published in English and Hindi, the English version shall prevail in case of any doubt about the interpretation of these Regulations